243 9 अर्जित आवास की संचय पर संशोधित अधिकतम सीमा।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनाक 24.4.1987 के कार्यालय ज्ञापन सं. 2(27)/85–डीपीई(डब्ल्यूसी) का हवाला देने का निदेश हुआ है जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि सरकारी उद्यमों के प्रबंधन, अर्जित अवकाश के संचय की सीमा को केवल ऐसे मामलों में बढ़ाकर 240 तक कर सकते हैं जहां मौजूदा अर्जित अवकाश नियमों में 180 दिनों तक के संचय की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा, इसमें यह भी स्पष्ट किया गया था कि अर्जित अवकाश के संचय पर अधिकतम सीमा इन सरकारी उद्यमों के प्रबंधन बोर्ड पर नियुक्त कार्यकारी अधिकारियों पर भी लागू होगी। उपरोक्त बढ़ाई गई सीमा 1.7.1986 से लागू होगी।

2. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों के लिए इस शर्त के अध्यधीन कि इस कारण वहन किए जाना वाला व्यय, केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा सरकार से बिना किसी बजटीय सहायता के अपने आंतरिक संसाधनों से पूरा किया जाएगा, ओद्यौगिक महंगाई भत्ते के पैमानों का पैटर्न अपनाते हुए अर्जित अवकाश के संचय को बढ़ाकर अधिकतम 300 दिन करने का निर्णय लिया गया है।

3. सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया जाता है कि वह पूर्ववर्ती को उनकी सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) के नोटिस में लाएं।

(डीपीई का.ज्ञा. सं. 2(53)/90–डीपीई (डब्ल्यूसी), दिनांक 5 अगस्त, 2005)

*****